संख्या-45/2022/156 /23-9-2022-03एस0सी0पी0/2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषयः अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-60/1सी, दिनांक 07.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किअनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद गोण्डा के कुल 01 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-12 के अनुसार रू0 22,59,000/- (रूपये बाइस लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	बचत की धनराशि	बचत की धनराशि के उपरान्त कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटन /व्यय	आवंटन हेतु देय अवशेष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गोण्डा	कपूरपुर सम्पर्क मार्ग से जूनियर हाईस्कूल होते हुए भटपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019-07एससीपी/2019, दिनांक 09.12.2019	0.70	45.88	0.51	45.37	22.78	22.59	22.59

2- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त तद दिनाक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः</u>

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
7- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।
8- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।
9- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।
10- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा को उनके पत्रांक-60/1सी, दिनांक 07.01.2021 के संदर्भ में।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।
14- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in